विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–240/2023

मोहन गुप्ता — परिवादी
कॉटेज नं0–7
नैनीकिंगडम, भूमियाधार
नियर–भवाली
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "My address is : Mohan Gupta, cottage number 7, nainikingdom, bhumiyadhar, district- Nainital, near Bhowali.

To the electricity board Uttarakhand, We are facing number of issues at our property

1- there is a lot of voltage fluctuations because of that many of my electronics instruments are getting destroyed.
2- Size of the transformer is too small as compared to the electrical load.
3- Power cut for couple of hours, multiple times in a day.

Therefore I kindly request you to get this resolved at the earliest. Looking forward to your reply."

2. विपक्षी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.09.2023 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी, नैनीताल द्वारा दिनांक 05.09.2023 को इस संबंध में आख्या प्रस्तुत की गयी है। आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अवर अभियन्ता, तल्लीताल द्वारा दिनांक 05.09.2023 स्थल का निरीक्षण कर अपनी आख्या प्रेषित की है। आख्या में अवर

क्रमशः

अभियन्ता ने अवगत कराया है कि श्री मोहन गुप्ता जी को परिसर बन्द होने पर टेलिफोन द्वारा जानकारी प्राप्त करनी चाही थी परन्तु फोन रिसीव न होने के कारण श्री गुप्ता जी से सम्पर्क नहीं हो पाया। अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्युत मापक में वोल्टेज 219.5 थी तथा परिसर में मौजूद गार्ड से बात करने पर उपकरण खराब होने सम्बन्धी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई तथा उक्त परिसर से पूर्व में भी कोई शिकायत उपकरण खराब होने सम्बन्धी नहीं प्राप्त हुई है, सम्बन्धित परिसर में 11/04 केवी 100 केवीए परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उच्च क्षमता के परिवर्तक हेतु प्राकलन तैयार किया जायेगा साथ ही यह भी अवगत कराना है कि 11 केवी पोषक जिससे उक्त क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है वह काफी लम्बा है तथा आपदा या किसी कार्य के शटडाउन होने पर विद्युत आपूर्ति पूरे क्षेत्र की बाधित हो जाती है।

3. मंच द्वारा परिवादी को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने व मंच के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परन्तु परिवादी द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई सूचना मंच कार्यालय को दी गयी। मंच कार्यालय द्वारा भी परिवादी के मोबाईल नम्बर पर कई बार उनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। इस प्रकार परिवादी द्वारा विपक्षी की आख्या पर कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने से यह माना जा सकता है कि परिवादी को अब कुछ नहीं कहना है तथा अब उसकी विद्युत संबंधी कोई शिकायत नहीं है। अतः इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है तथा वाद समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त चर्चा के आधार पर विपक्षी को कोई आदेश पारित किये बिना वाद समाप्त किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–19/09/2023

(हिमांशु बहुगुणा)	**(पी सी पाण्डेय)** 19/9/2023	19/09/2023 **(टीकाराम जोशी)**
सदस्य (उपभोक्ता)	**सदस्य (तकनीकी)**	**सदस्य (न्यायिक)**

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–19/09/2023

(हिमांशु बहुगुणा)	**(पी सी पाण्डेय)**	**(टीकाराम जोशी)**
सदस्य (उपभोक्ता)	**सदस्य (तकनीकी)**	**सदस्य (न्यायिक)**